an>

Title: Need to ensure extension of benefits of Fasal Bima Yojana to farmers in Bihar.

डॉ. भोला सिंह (बेगूसराय) ः भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो बजट पेश किया गया है, उसमें गांव, गरीबी, किसान की समृद्धि हेतु एक विशेष योजना, जिसके द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी बढ़ जायेगी, का समावेश होने से किसानों में गजब का उत्साह उत्पन्न हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों की फसल वर्षा, ओला, तूफान से क्षतिग्रस्त होती रहती है, उसके लिए भी भरपूर मुआवजा फसल क्षतिपूर्ति के माध्यम से उठाया गया है। बिहार के किसानों के लिए सैंकड़ों करोड़ रूपए क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा के लिए दिए गए हैं, पर बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री की इस किसान हितैषी योजना के लिए वांछित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। उनके अलग निर्देश हुए हैं। जिन किसानों को फसल बीमा योजना से लाभ मिलेंगे, उन्हें फसल क्षतिपूर्ति के आर्थिक लाभ नहीं दिये जायेंगे। राज्य सरकार भारत सरकार के इस कदम की आड़ में अपने संकट को किसानों के ऊपर डाल रही है और उन्हें प्रधानमंत्री की योजना से लाभ लेने से वंचित कर रही है। इससे किसानों में घोर असंतोष है, आक्रोश है और अभी तक बिहार के लाखों किसानों को प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना एवं क्षतिपूर्ति योजना के लाभ नहीं मिल रहे हैं।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वे एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर इस मामले की जांच करवायें।